# The Varanasi Sanskrit Vishvavidhyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 21 of 1972

Keyword(s):
Text of Act is in Hindi, Ayurved, University, Sanskrit, Degree

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135799

# वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1972)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1972 ई० को बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अप्रैल, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 1 मई, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद विषय म परीक्षा आयोजित करने तथा उपाधियां प्रदान और सम्प्रदान करने के लिये भूतलक्षी दिनांक 1 जुलाई, 1965 से और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध लोकहित में, सीमित अवधि के लिये, तात्कालिक प्रभाव से, अपने पास लेने के लिये, और उससे सम्बद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिये उपबन्ध बनाने के उद्देश्य से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1956 की धारा 26 का संशोधन

2—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, और 1 जुलाई, 1965 से बढ़ायी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(5) विश्वविद्यालय आयुर्वेद के विषय में शिक्षा देने के लिये शिक्षण विभाग खोल सकता है व पाठ्य-क्रम नियत कर सकता है तथा उस विषय में परीक्षायें आयोजित कर सकता है, और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के निमित्त उपाधियां संस्थित कर सकता है तथा ऐसी उपाधियां प्रदान या संप्रदान कर सकता है, चाहे परिनियमों और अध्यादेशों में तद्वर्थ उपबन्ध किया गया हो या नहीं, भले ही पूर्ववर्ती उपधाराओं या धारा 4, 6, 28, और 30 में कोई बात उपबंधित हो।"

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(7) जब तक धारा 47—क के उपबन्धों के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित रहे,—

(क) उक्त महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय होगा, और उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (6) में दी गई कोई बात उसके संबंध में लागू न होगी,

(ख) उक्त महाविद्यालय का आचार्य कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा, भले ही धारा 22 में कोई बात दी हो।"

नई धारा 47-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध अस्थायी रूप से अपने पास लेना

"47—क—(1) दिनांक 2 मार्च, 1972 से (जिसे इस धारा में निश्चित दिनांक कहा गया है) और तत्पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिये—

(क) आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विश्वविद्यालय का भाग था, का प्रत्येक हास्पिटल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यान-कक्ष अथवा संग्रहालय और उससे संबंधित किन्हीं सज्जा,

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० का सरकारी असाधारण

Price 05 Paise

स्टोर्स, औषधि, धनराशियों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के सहित, प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार को संक्रमित हो जायेगा और उसमें निहित हो जायगा, और ऐसी सभी संपत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा जिनके लिये उनका उपयोग निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किया जाता था अथवा जिन प्रयोजनों के हेतु उपयोग के लिये वे अभिप्रेत थीं ;

(ख) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स और अन्य परिसंपत्तियां जिनका उपयोग उक्त महाविद्यालय के लिये निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजनों के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेगी ;

(ग) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अधीन सभी आनुशासनिक शक्तियां (जिसके अन्तर्गत सेवा की संविदा को समाप्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति भी समझी जायेगी) तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में नये कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति विश्वविद्यालय अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित होगी ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम में परिवर्धन, संशोधन या लोप कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा कोई परिवर्धन, संशोधन या लोप भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे दिनांक से किया जा सकता है जो निश्चित दिनांक से पूर्व न होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन निष्पादित प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1972

5—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 88 जनरल (लेग०)—1972—1,834+50. SS (मे०)।